न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/631

मांगी लाल आत्मज भवाना जी जाति मेघवाल निवासी ग्राम दीपपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. राम भरोस आत्मज गोबरी लाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम दीपपुरा तहिसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. राममूर्ति पुत्री गोबरी लाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम सुहाना तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. कैलाश बाई बेवा गोबरी लाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम दीपपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. किशोरी पुत्री भवाना जाति मेघवाल पत्नी बाला जी निवासी ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. पाना पुत्री भवाना पत्नी नन्दकिशोर जी जाति मेघवाल निवासी ग्राम फाटाढोडा उप तहसील मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री चन्द्रमोहन शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 31.12.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दीपपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 236 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 378 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 491 रकबा 2.42 हैक्टर, खसरा नम्बर 503

रकबा 0.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 583 रकबा 1.48 हैक्टर कुल 05 किता की रकबा 4.72 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में मांगीलाल पुत्र भवाना, किशोरी, पाना पुत्रियॉ भवाना हिस्सा 3/4 व रामभरोस पुत्र राममूर्ति व कैलाश बाई बेवा गोबरी लाल हिस्सा 1/4 निहित है । प्रतिवादी क्रम 1 मांगीलाल, देवा जाति मेघवाल के कोई संतान नहीं होने के कारण गोद चला गया था तथा देवा के मकान पर रह रहा है और देवा के खाते की आराजी कुल 06 किता की रकबा 3.99 हैक्टर में बतौर खातेदारी मांगीलाल मुतबन्ना देवा जाति मेघवाल दर्ज हो चुका है । प्रतिवादी क्रम 1 मांगीलाल, देवा जी के गोद चले जाने के कारण उनके पूर्व पिता भवाना की पैरा नं0 में वर्णित भूमि में नियमानुसर प्रतिवादी क्रम 1 का हक व अधिकार समाप्त हो चुका है। प्रतिवादी क्रम 1 मांगीलाल भवाना जी की भूमि में अपना नाम होने का नाजायज लाभ उठाते हुए उक्त भूमि को खुर्द करने पर आमादा है तथा रहन, बेचान करने पर आमादा है ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी से से प्रतिवादी क्रम 1 का नाम विलोपित किया जावे जाकर वादी का नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान नहीं करे तथा वादीगण को उसके शांति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही पत्रावली को लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया । लोक अदालत में पक्षकारान द्वारा कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचित किये बिना ही सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.08.2017 को हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के वादीगण का वाद डिक्री किया है और अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचित किये बिना साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना नहीं की है । वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति है जिसमें अपीलान्ट का अपने पिता के जीवनकाल से ही 1/3 हिस्सा निहित था । भवाना की मृत्यु के बाद अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा दर्ज किया गया और बिना किसी आधार के अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने का निर्णय पारित किया है । बिना किसी आधार के अपीलान्ट को देवा के गोद जाना बताया है । अपीलान्ट देवा के गोद नहीं गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया है वादीगण ने अपने दावे को सिद्ध किया है जिसके आधार पर डिक्री किया है । अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में चल रही थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में आदेशिका पर मांगीलाल प्रतिवादी क्रम 1 और वादी क्रम 1 रामभरोस के हस्ताक्षर हैं । न तो समस्त पक्षकार उपस्थित हुए हैं न ही समस्त पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दावा वादी डिक्री किया गया है । निर्णय आदेशिका पर अंकित किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान उपस्थित होकर विधिवत राजीनामा पेश करें अन्यथा सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम तनकीयात पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.02.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31/12/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा